

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 36/2024 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
वरदीबाई पत्नी नारायणलाल मीणा नि. सेमलिया तह. बड़ीसादड़ी
-वादीया

-: बनाम :-

- 1- कैलाश पुत्र बालु मीणा नि. सुथारिया खेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- गोतमलाल पुत्र नारायण मीणा नि. पाचागुडा तह. धरियावद
- 3- नाथी पत्नी बालु मीणा नि. सुथारिया खेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- बगदीराम पुत्र बाबरू मीणा नि. सुथारिया खेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- रामा पुत्र उदा मीणा नि. गढवेला उन्ताखेड़ा तह. धमोतर
- 6- गोपी पत्नी लालसिंह मीणा नि. कम्बोलिया तह. छोटीसादड़ी
- 7- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा सुथारिया खेडा पटवार हल्का बोहेड़ा बी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- वरदीबाई पत्नी नारायणलाल मीणा सा. सेमलिया खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
(5571/232)/1	0.0500	0.35
1	0.0500	0.35

- 2- कैलाश पुत्र बालू हि. 1/14 मीणा सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
(5571/232)/2	0.3500	2.45
1	0.3500	2.45

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 36/2024

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

वरदीबाई पत्नी, नारायणलाल मीणा नि. सेमलिया तह. बड़ीसादड़ी

-वादीया

-: बनाम :-

- 1- कैलाश पुत्र बालु मीणा नि. सुथारिया खेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- गोतमलाल पुत्र नारायण मीणा नि. पाचागुडा तह. धरियावद
- 3- नाथी पत्नी बालु मीणा नि. सुथारिया खेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- बगदीराम पुत्र बाबरु मीणा नि. सुथारिया खेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- रामा पुत्र उदा मीणा नि. गढवेला उन्ताखेडा तह. धमोतर
- 6- गोपी पत्नी लालसिंह मीणा नि. कम्बोलिया तह. छोटीसादड़ी
- 7- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -
मौजा सुथारिया खेडा पटवार हल्का बोहेड़ा बी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- वरदीबाई पत्नी नारायणलाल मीणा सा. सेमलिया खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
(5571/232)/1	0.0500	0.35
1	0.0500	0.35

2- कैलाश पुत्र बालु हि. 1/14 मीणा सा. देह खातेदार

गोतमलाल पुत्र नारायण हि. 1/21 मीणा सा. पाचागुडा तहसील धरियावद खातेदार		
गोपी पत्नी लालसिंह हि. 11/70 मीणा सा. कम्बोलिया पीलीखेडा तहसील छोटीसादड़ी खातेदार		
नाथी पत्नी बालु हि. 1/42 मीणा सा. देह खातेदार		
बगदीराम पुत्र बाबरु हि. 29/70 मीणा सा. देह खातेदार		
रामा पुत्र उदा हि. 2/7 मीणा सा. गढवेला उन्ताखेडा तहसील धमोतर खातेदार		
आ. नं.	रकबा	लगान
(5571/232)/2	0.3500	2.45
1	0.3500	2.45

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे.....% प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत.....% को दी जावे। यह आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक राजस्व/2025/63

दिनांक : 9/04/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाये।



सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी